GICMS - 2024/94

किस्म मुकदमा:– :– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
नम्बरः– 32/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामरखराम विश्नोई बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आऊ)	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/24	अपीलार्थी रामरखराम विश्नोई पुत्र कोजाराम निवासी ग्राम पोस्ट मोरिया, तहसील आऊ, जिला फलौदी ने सूचना का अधिकार के तहत दिनांक 13.08.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आऊ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम मुंजासर के खसरा संख्या 30, जो वक्त बंदोबस्त किस्म औरणथा, को गोचर में परिवर्तित करने का समस्त कार्यवाही व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, नामान्तरकरण की प्रतिलिपि, गोचर परिवर्तन की प्रथम चौसाला जमाबंदी की सूचना चाही गई थी। तहसीलदार आऊ को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई सूचना जो तहसील कार्यालय में उपलब्ध हो 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करावें एवं रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। अतः अपील इस स्टेज पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। जिला कलक्टर फलौदी	